

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 175

दायरा तिथि : 22.05.2024

आदेश तिथि : 05-08-2024

प्रार्थी :-

श्री विकास सीपा पुत्र जयनारायण सीपा जाति ढोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 05-08-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1670 रकबा 0.3100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1654 रकबा 27.8100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/860 दिनांक 28.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1670 रकबा 0.3100 हैक्टर किस्म बरानी दोगम भूमि खातेदार श्री अरविंद नाथ पुत्र शंकरनाथ हिस्सा 1/24, कमलाबाई पुत्री धर्मनाथ हिस्सा 1/24, विनोद पुत्र खीमनाथ हिस्सा 1/24 जातिगण नाथ, विकास सीपा पुत्र जयनारायण सीपा हिस्सा 7/8-जाति ढोली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
2. यह है कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1654 रकबा 27.8100 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर राजकीय सिवायचक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
3. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग खसरा नंबर 692 से आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
4. यह है कि प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है।
5. यह है कि रास्ता कटान मार्ग से निकटतम है।
6. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1654	27.8100 हैक्टर	गै.मु. भाखर	340x7= 2380 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

7. यह कि भू-अभिलेख निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित रास्ता के खसरा नंबर 1654 की डी.एल.सी. दर 2,51,914 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
8. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंका की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वक्तुलाय की बहारा पर गनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिरालपुर पटवार हल्का बिरालपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1670 रकबा 0.3100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/860 दिनांक 28.08.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान कारशकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपठिता राजस्थान कारशकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शर्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिरालपुर पटवार हल्का बिरालपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1670 रकबा 0.3100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिरालपुर पटवार हल्का बिरालपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1654 रकबा 27.8100 हैक्टर में से 2.380 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. गी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 251914/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1654	27.8100 हैक्टर	340X7= 2380 वर्गमीटर	25	59500 X2=1,19,000	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 1,19,000/- (अक्षरे एक लाख, उन्नीस हजार रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/1622-1026  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री विकास सीपा पुत्र जयनारायण सीपा जाति डोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

3  
 महायुक्तक (दिनेश्वर) एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली  
 दिनांक : 14-08-24

3  
 महायुक्तक (दिनेश्वर) एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली